



प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 135 /2025

दिनांक- 12.04.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 12.04.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01. थाना बिलरियागंज -निजी संपत्ति का क्षति करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना -

दिनांक 24.04.2024 को आवेदक मुखराम मौर्य पुत्र गजाधर मौर्य,ग्राम रौनापार ,थाना रौनापार ,जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर लिखित पार्थना पत्र दिया कि मेरा साला सुरेश मौर्य पुत्र स्व० श्यामदेव मौर्य का घर जमीन पडरी , थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ में है। वे परिवार सहित मुम्बई में रहते हैं। उनकी लड़की पूजा मौर्य के नाम कि मोटर साइकिल (स्पलेन्डर) गाडी नं० UP50BMxxxx व हमारे लड़के राजू मौर्य के नाम की मोटर साइकिल सुपर स्पलेन्डर गाडी नं०-UP50AZxxxx जो जीना के पास रखी था को किसी व्यक्ति द्वारा दिनांक 17.04.2024 को जला दिया गया। लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक- 12.04.2025 को उ०नि० अवधेश उपाध्याय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त अशोक मौर्य पुत्र स्व० दसई मौर्य ,निवासी जमीन पडरी ,थाना बिलरियागंज ,जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त उपरोक्त के घर जमीन पडरी से समय लगभग 12.20 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग -

1-मु०अ०सं० 123/2024,धारा 436 भादवि , थाना बिलरियागंज ,आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1.अशोक मौर्य पुत्र स्व० दसई मौर्य निवासी जमीन पडरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. सुनील कुमार दुबे, थानाध्यक्ष बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

2-उ०नि० अवधेश उपाध्याय, मय हमराह थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़



02.थाना महाराजगंज: चोरी गये सामान व अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 02.08.24 को वादी कान्हा मिश्रा पुत्र रामदुलार मिश्रा, ग्राम महेशपुर, कोतवाली महाराजगंज ,जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि दि० 31- 01//08/2024 की रात्रि में अज्ञात चोरों ने आवेदक के टेलर गाडी में से बैटरी खोलकर चुराकर लेकर भाग गये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 316/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत है। जिसकी विवेचना उ०नि० धीरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है तथा दिनांक 22.01.25 को वादी श्री अंकित शुक्ला पुत्र शिवमोहन शुक्ला निवासी खानपुर शुक्ल थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि अज्ञात चोरो द्वारा आवेदक की मोटर जो प्रकाश कम्पनी का 2 HP जिसका माडल न० PMS/80/2/E2P व आवेदक के खेत मे से 1 बंडल तार 100 मी० व 10 किलो० पाइप चुरा लिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 31/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ०नि० अकीक अहमद द्वारा सम्पादित की जा रही है तथा दिनांक 12.04.25 को तलाशी में अभियुक्त शरीफ खान उर्फ मुस्तकीम पुत्र नन्हू निवासी ग्राम अन्जान शहीद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से एक अदद कट्टा देशी 315 वोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 वोर के बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 120/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृति क्रिया गया जिसकी विवेचना उ०नि० अवधेश यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है ।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 12.04.25 को उ०नि० धीरेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शरीफ खान उर्फ मुस्तकीम पुत्र नन्हू निवासी ग्राम अन्जान शहीद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष को ग्राम शुक्लाने से समय करीब 00.49 वजे पुलिस हिरासत में लिया गया । अभियुक्त के कब्जे से एक अदद कट्टा देशी 315 वोर ,एक अदद जिन्दा कारतूस 315 वोर , 2000/ रुपया व एक अदद बैट्री बरामद हुआ । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01.अभि० शरीफ खान उर्फ मुस्तकीम पुत्र नन्हू निवासी ग्राम अन्जान शहीद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:-

एक अदद कट्टा देशी 315 वोर ,एक अदद जिन्दा कारतूस 315 वोर , 2000/ रुपया व एक अदद बैट्री

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त- 1.अभि० शरीफ खान उर्फ मुस्तकीम पुत्र नन्हू निवासी ग्राम अन्जान शहीद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष

1. मु०अ०सं० 197/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली ,जनपद आजमगढ़
2. मु०अ०सं० 11/23 धारा 380/411 भादवि ,थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
3. मु०अ०सं० 22/23 धारा 352/504/506 भादवि, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
4. मु०अ०सं० 50/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट ,थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
5. मु०अ०सं० 316/24 धारा 303(2),317(2) बीएनएस, थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़
6. मु०अ०सं० 31/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस, थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़
- 7.मु०अ०सं० 120/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट , थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी में लेने वाली टीम -

- 1-उ०नि० धीरेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह थाना महाराजगंज आजमगढ़ ।
- 2.उ०नि० ओमकार तिवारी मय हमराह थाना महाराजगंज आजमगढ़ ।



03.थाना गम्भीरपुर: अपहरण के अभियोग में एक अभियुक्ता गिरफ्तार।

पूर्व की घटना –

दिनांक 09.03.2025 को वादिनी निवासी थाना गम्भीरपुर ,जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 05/06.03.2025 को अभियुक्त द्वारा वादिनी के पुत्री को छेड़ना तथा अपने परिजनों के सहयोग से वादिनी कि पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में दाखिल किया। दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 73/2025 धारा-87,137(2),74,351(2) बीएनएस बनाम-

- 1.शिवा पुत्र रामसेवक 2.रामसेवक पुत्र अज्ञात ,निवासी हरिश्चंद्रपुर, थाना गम्भीरपुर ,आजमगढ़
- 3.गुड्डी पत्नी रामसेवक ,निवासी हरिश्चंद्रपुर, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़
- 4.राजाबाबू पुत्र अज्ञात ,निवासी हरिश्चंद्रपुर, थाना गम्भीरपुर ,आजमगढ़
5. राजन पुत्र अज्ञात, निवासी हरिश्चंद्रपुर ,थाना गम्भीरपुर ,आजमगढ़

पंजीकृत किया गया था। पीड़िता के बयान धारा 180 बी0एन0एस0एस0 के अवलोकन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1)/61(2) बी0एन0एस0 व 3/4(2) पाक्सों एक्ट की बढ़ोत्तरी किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 12.04.2025 को उ0नि0 विजय कुमार शुक्ला मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 73/2025 धारा-87,137(2),74,351(2)/64(1)/61(2) बीएनएस व 3/ 4 पाक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्ता गुड्डी पत्नी रामसेवक निवासी हरिश्चन्द्रपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को मुखबिरी सूचना पर समय करीब 10.45 बजे उसके घर ग्राम हरिश्चन्द्रपुर से से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 01.उ0नि0 विजय कुमार शुक्ला, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़
- 02.म0कां0 मालती , थाना गम्भीरपुर ,जनपद आजमगढ़
03. हे0का0 अशोक, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़
04. का0 सुरेश यादव ,थाना गम्भीरपुर ,जनपद आजमगढ़



04.थाना- मेंहनगर: शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 19.03.2025 को वादिनी निवासी ग्राम विषहम मिर्जापुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ ने थाना पर आकर लिखित दिया कि वादिनी के शादी के 17 साल बाद दिनांक 03.10.2023 को उसके पति की बीमारी के कारण मृत्यु हो गयी। पति के मृत्यु के बाद भी वादिनी अपने बच्चों के साथ ससुराल में रहती है। वादिनी का देवर मुकेश कुमार पुत्र रामचेत शादी का झाँसा देकर लगभग 1 वर्ष से प्रार्थिनी के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा। जब भी वादिनी शादी करने के लिए अपने देवर से कहती थी तो वह शादी के तिथियों को टालता रहा और देवर कहता कि मैं कुँवारी लडकी से शादी करूँगा, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 107/2025 धारा 69/351(3)/61(2) BNS बनाम-

- 1.मुकेश कुमार पुत्र रामचेत, निवासी ग्राम विषहममिर्जापुर, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़
- 2.रामचेत पुत्र स्व0 दुखरन, निवासी ग्राम विषहम मिर्जापुर, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़
- 3.राजकुमार पुत्र रामचेत, निवासी ग्राम विषहम मिर्जापुर, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़, के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 12.04.25 को निरीक्षक जयप्रकाश यादव मय हमराह आरक्षी अजय राय तथा आरक्षी अतुल शुक्ला के द्वारा मु0अ0सं0 107/2025 धारा 69/351(3)/61(2) BNS से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र रामचेत, निवासी ग्राम विषहम मिर्जापुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को उसके घर से समय 11.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 1.मुकेश कुमार पुत्र रामचेत, निवासी ग्राम विषहम मिर्जापुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

- 1.निरीक्षक अपराध जयप्रकाश यादव मय हमराह थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़



05.थाना-कोतवाली- साइबर फ़्राड के 38,500/- रूपये वापस कराया गया-

पूर्व की घटना:-

दिनांक 05.09.2024 को आवेदिका वन्दना सिंह पुत्री श्याम नरायन सिंह निवासी सलेमपुर, थाना कोतवाली ,जनपद आजमगढ़ के साथ 38,500/- रूपये का साइबर फ़्राड हुआ था। जिसके सम्बन्ध में आवेदिका द्वारा NCRP पोर्टल पर Complain No. 331092xxxxxxx पंजीकृत किया गया था। जिसके आधार पर आवेदिका का 38,500 रूपये होल्ड कराया गया। उक्त शिकायत पर विधिक कार्यवाही कराते हुये कम्प्यूटर ऑपरेटर सनत सिंह व म0आ0 उमा वर्मा के द्वारा होल्ड हुए पैसे पर मा0 न्यायालय से आदेश कराकर आवेदिका के पैसे को वापस कराया गया।

वापस कराया गया धनराशि- 35000/-रुपये (पैतीस हजार रूपये)

पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम ,थाना कोतवाली ,जनपद आजमगढ़।
- 2.उ0नि0 विनय कुमार सहाय ,थाना कोतवाली ,जनपद आजमगढ़।
- 3.कम्प्यूटर ऑपरेट सनत सिंह ,थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
- 4.म0आ0 उमा वर्मा ,थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।



06.थाना गम्भीरपुर: दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना -

दिनांक 02.03.2025 को वादिनी निवासी ग्राम थनौली थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 01.04.25 को समय करीब 23.00 बजे विपक्षी विजय पुत्र मुखू निवासी ग्राम थनौली, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी के घर में घुसकर छेड़खानी व दुष्कर्म करने तथा शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाने के सम्बन्ध में दाखिल प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 86/2025 धारा 64, 74,333,351(3) BNS बनाम विजय पुत्र मुखू निवासी ग्राम थनौली थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 12.04.2025 को उ0नि0 योगेश सरोज द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 86/2025 धारा 64, 74,333,351(3) BNS बनाम में वांछित अभियुक्त विजय पुत्र मुखू, निवासी ग्राम थनौली, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ को मुखबिर की सूचना पर समय करीब 11.10 बजे रानीपुर रजमों से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

1-विजय पुत्र मुखू,निवासी ग्राम थनौली, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग -

1- मु.अ.सं. 86/2025 धारा 64, 74,333,351(3) BNS, थाना गम्भीरपुर,जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1.व0उ0नि0 योगेश सरोज ,थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़
2. का0 रवि शंकर चौरसिया ,थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़
3. का0 धीरज त्रिपाठी ,थाना गम्भीरपुर ,जनपद आजमगढ़

